"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 585] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 जुलाई 2025 — श्रावण 8, शक 1947

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 जुलाई 2025

आदेश

क्रमांक ESTB-1/1139/2025-LABOUR.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक-XIV 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा–34 के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य शक्ति श्री हिम शिखर गुप्ता (भा.प्र.से.) श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए प्रयोग में लायी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चेतन बोरघरिया उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 30th July 2025

NOTIFICATION

No. ESTB-1/1139/2025-LABOUR.— In exercise of the powers conferred by section 39 of the Industrial Dispute Act, 1947 (No. XIV of 1947) and in supersession of all previous notification on the subject, the State Government hereby directs that powers under Section 34 of the said Act shall be exercised by Shri Him Shikhar Gupta (I.A.S.) Labour Commissioner, Nava Raipur Atal Nagar for the State of whole Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
CHETAN BORGHARIYA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.